भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राजभाषा विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्याः 2819

दिनांक 19.4.2000 को उत्तर के लिए

प्रकाशन के लिए उपयोग की जाने वाली भाषा हेतु नीति

2819. श्री बालकवि बैरागी :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें किः

(क) क्यां सरकार ने कोड, मैनुअल और प्रक्रिया साहित्य हेतु प्रयोग की जाने भाषा या भाषाओं के संबंध में कोई नीति निर्धारित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त नीति का अनुपालन समुचित रूप में सुनिश्चित करने हेतु क्या व्यवस्था की गयी है; और

(घ) पिछले दो वर्षों के दौरान उक्त नीति के उल्लंघन के ऐसे कितने मामले सरकार के सामने आये हैं और सरकार ने इन पर क्या कार्रवाई की है ?

उत्तर

गृह राज्य मंत्री (श्री आई०डी० स्वामी)

(क) और (ख) : जी हाँ । राजभाषा नियम (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग), 1976 के नियम 11 में यह व्यवस्था है कि केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों से सम्बन्धित सभी मैनुअल, संहिताएं और प्रक्रिया सम्बंधी अन्य साहित्य हिन्दी और अंग्रेजी में द्विभाषिक रूप में यथास्थिति मुद्रित या साइक्लोस्टाइल किया जाएगा और प्रकाशित किया जाएगा ।

(ग) इस नीति के अनुपालन के लिए सरकार द्वारा 31.8.1976 तथा 8.9.1978 को निर्देश जारी किए गए थे । मंत्रालयों/विभागों से राजभाषा के प्रगामी प्रयोग से संबंधित तिमाही प्रगति रिपोर्टें प्राप्त करके इसके अनुपालन पर निगरानी रखी जाती है । इसके अतिरिक्त राजभाषा नियम 12 के तहत प्रत्येक कार्यालय के प्रशासनिक प्रधान को राजभाषा नीति के अनुपालन के लिए उत्तरदायी बनाया गया है ।

(घ) मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त वर्ष 1998-99 की तिमाही प्रगति रिपोर्टों में दी गई सूचना के अनुसार जिन मंत्रालयों/विभागों में शेष कोड/मैनुअल आदि का हिन्दी रूपांतरण बाकी है उनके नाम/संख्या संलग्न विवरण में दी गई है । इस संदर्भ में संबंधित मंत्रालयों/विभागों को अनुवाद-कार्य पूरा करने के लिए लिखा जाता है और इसकी समीक्षा केन्द्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक में की जाती है ।

******

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF HOME AFFAIRS
DEPARTMENT OF OFFICIAL LANGUAGE
RAJYA SABHA
UNSTARRED QUESTION NO.2819
TO BE ANSWERED ON 19.04.2000

POLICY FOR LANGUAGE TO BE USED FOR PUBLICATION

2819. SHRI BALKAVI BAIRAGI:

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state;

(a) whether Government have fixed any policy regarding language or languages to used for publication of code, manual and procedural literature;

(b) if so, the details of the said policy;

(c) what arrangements have been made to ascertain the enforcement of the said pol in an appropriate manner; and

(d) the number of such cases reported to Government wherein the said policy been violated during the last two years and the action taken by Governm thereon ?

ANSWER

MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI I.D.SWAMI)

(a)&(b): Yes Sir. Rule 11 of the Official Language Rules (use for official purposes the Union) provides that all manuals, codes and other procedural literature relating Central Government Offices shall be printed or cyclostlyed, as the case may be, a published in Hindi and English in diglot form.

(c): For compliance of this policy, orders were issued by the Government 31.8.1976 and 8.9.1978. Its compliance is monitered by obtaining quarterly progre reports regarding progressive use of Official Language from the Ministries/Departmen Apart from this, the administrative head of each office has been made responsible f compliance of Official Language Policy under Rule 12 of the Official Language Rules.

(d): On the basis of the information furnished by the Ministries/Departments in t quarterly progress reports for the year 1998-99, the number of codes/manuals st pending for Hindi translation and the names of the Ministries/Deptts. to which they rela to, are given in the attached statement. In this connection, the Ministries/Departmen concerned are asked to complete the translation work and the position is reviewed in t meeting of the Central Official Language Implementation Committee.

****

राज्य सभा में दिनांक 19.4.2000 को उत्तर के लिए पूछे गए अतारांकित प्रश्न सं0 2819 के भाग (घ) के उत्तर में संदर्भित विवरण

मंत्रालय /विभाग	कुल कोड, मैनुअल आदि	हिंदी रुपांतरण के लिए बाकी
1 उर्वरक विभाग	78	18
2 औद्योगिक नीति व संवर्धन विभाग	127	7
3 कम्पनी कार्य विभाग	353	1
4 कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग	90	7
5 दूर संचार विभाग	369	10
6 रक्षा मंत्रालय	4	3
7 रसायन एवं पैट्रो रसायन विभाग	17	1
8 रेल मंत्रालय	481	24
9 लघु कृषि एव ग्रामीण उद्योग विभाग	127	7
10 विदेश मंत्रालय	164	14
11 विधि कार्य विभाग	126	9
12 श्रम मंत्रालय	79	1

Satatement referred to in reply to part(d) of Rajya Sabha Unstarred Question No. 2819 due for answer on 19.4.2000.

***

Ministry/Department	Total Codes, manuals, etc.	Still pending for Hindi translation
1. Deptt. of Fertilizers	78	18
2. Deptt. of Industrial Policy and Promotion	127	7
3. Deptt. of Company Affairs	353	1
4. Deptt. of Personnel and Training	90	7
5. Deptt.of Telecommunications	369	10
6. Ministry of Defence	4	3
7. Deptt. of Chemicals and Petro-Chemicals	17	1
8. Ministry of Railways	481	24
9. Deptt. of Minor Agriculture & Rural Indistries.	127	7
10. Ministry of External Affairs	164	14
11. Deptt. of Legal Affairs	126	9
12. Ministry of Labour	79	1

***